राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9094/2023

राजेन्द्र सिंह मीना पुत्र स्वर्गीय श्री मानसिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट - हिंगलाट, तहसील - अरमोद, जिला - प्रतापगढ़ (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, संयुक्त सचिव (समूह - 2), शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर (राजस्थान)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ़ (राजस्थान)।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री एस.आर. पालीवाल
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री हेमंत चौधरी – जी.सी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

22/03/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, जो अपने पिता की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहा है, जिनकी मृत्यु 21.11.2007 को सेवा के दौरान हुई थी, दिनांक 17.05.2023 के एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार उसके पिछले नियुक्ति आदेश दिनांक 18.12.2019

को वापस लेकर उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति के अनुसार, वह इसका लाभ पाने का हकदार है।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2.1 याचिकाकर्ता के पिता को 09.10.1986 को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन 21.11.2007 को सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आश्रितों में से एक होने के नाते, 18.12.2007 को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मांगी। उनके आवेदन के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता की बहन का 30.06.2016 को वनपाल के पद पर चयन हो गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता की बहन की शादी 17.04.2019 को हुई। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह राजस्थान मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 (जिसे आगे '1996 के नियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) के नियम 2 (सी) की परिभाषा के मद्देनजर आश्रितों की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी ने कार्यालय आदेश दिनांक 18.12.2019 के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुशंसा की और याचिकाकर्ता को जिला प्रतापगढ़ भी आवंटित किया गया और उसका नाम एस. नंबर 31 पर दर्शाया गया।

2.2 हालांकि, जब याचिकाकर्ता ने उक्त पद पर शामिल होने के लिए प्रतिवादी संख्या 4/डीईओ, प्रतापगढ़ से संपर्क किया, तो उसे शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बजाय याचिकाकर्ता को दिनांक 13.03.2020 के संचार की एक प्रति प्रदान की गई, जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3/निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया था कि याचिकाकर्ता को ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति दी जाए या नहीं।

2.3 इसके बाद याचिकाकर्ता ने 13.03.2020 के संचार की वैधता और औचित्य को चुनौती देते हुए एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2003/2023 के रूप में एक रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 17.05.2023 के आपत्तिजनक आदेश के तहत, 08.04.2015 के परिपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पिछली सिफारिश को रद्द कर दिया गया था। दिनांक 17.05.2023 के आदेश के पारित होने के बाद याचिकाकर्ता ने नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त रिट याचिका वापस ले ली। इसलिए तत्काल याचिका के माध्यम से उन्होंने दूसरा प्रयास किया।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में किया गया बचाव अनिवार्य रूप से यह है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन के समर्थन में एक मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत हलफनामे झूठे हैं, इस हद तक कि यह कहा गया था कि सरकारी सेवा में मृतक का कोई आश्रित नहीं है।

3.1. 1996 के विनियमों के नियम 5 पर भी भरोसा किया गया है जो यह निर्धारित करता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां केवल उन मामलों में हो सकती हैं जहां मृतक सरकारी कर्मचारी का पति या कम से कम एक आश्रित बच्चा सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है। वर्तमान मामले में, मृतक सरकारी कर्मचारी की अविवाहित बेटी 2016 से वन विभाग में कार्यरत थी, जिससे याचिकाकर्ता का दावा कायम नहीं रह सका। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि बेटी सुश्री सोनम एक 'छात्र' थी, जिसकी कोई आय नहीं थी, वह अधिकारियों को धोखा देने और 1996 के विनियमों के तहत रोजगार हासिल करने का प्रयास कर रही थी।

3.2. आगे बचाव यह है कि नियुक्ति की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की लंबित आवेदन के समय सुश्री सोनम वास्तव में अविवाहित थीं। उसकी शादी अप्रैल 2019 में हुई थी। नतीजतन, याचिकाकर्ता द्वारा 22.11.2018 और 21.01.2019 को शपथ लेकर प्रस्तुत हलफनामे झूठे माने गए हैं। इसलिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी को रोककर नियुक्ति पाने के याचिकाकर्ता के प्रयास ने उसे 18.12.2019 के कार्यालय आदेश के अनुसार शामिल होने के लिए अयोग्य बना दिया।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के साथ, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं की परस्पर विरोधी दलीलें सुनी हैं तथा मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर शामिल होने की अनुमति न देने की प्रतिवादियों की कार्रवाई, 1996 के लागू नियमों में निहित प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु उनकी सेवाएं प्रदान करते समय हुई तथा याचिकाकर्ता ने आश्रित होने के कारण प्रतिवादियों के समक्ष अपेक्षित दस्तावेजों के साथ समय रहते आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात प्रतिवादी सही रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता 1996 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने दिनांक 17.05.2023 के विवादित आदेश को पारित करने के लिए दिनांक 08.04.2015 के परिपत्र पर गलत तरीके से भरोसा किया, जो इस प्रकार

अपास्त किए जाने योग्य है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील उत्तर में दिए गए बचाव की तर्ज पर बहस करेंगे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 21.11.2007 को हुई थी। उनके सेवा रिकॉर्ड के अनुसार, उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुश्री सोनम को 30.06.2016 को वन रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, जब वह अभी भी अविवाहित थीं। उनकी शादी 17.04.2019 को हुई थी। इस प्रकार, मृतक श्री मान सिंह के किसी भी आश्रित के सरकारी नौकरी में नहीं होने के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा झूठे हलफनामे प्रस्तुत किए गए थे। उनका तर्क है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के कारण तत्काल कठिनाई को कम करना है। इस संदर्भ में वह उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हैं। : (1994) 4 एससीसी 138, जिसमें यह माना गया है कि सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति केवल आवेदनों के खुले आमंत्रण और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं हो सकती। यह सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कानून की आवश्यकता का एक अपवाद मात्र है, जिससे उसका परिवार आजीविका के किसी साधन के बिना रह जाता है।

7. विवादित आदेश का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि यह 1996 के नियम 5 की व्याख्या पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम 1996 के नियम (5) पर एक नज़र डालें कि इसमें क्या परिकल्पना की गई है:-

> “नियम 5. नियुक्ति कुछ शर्तों के अधीन होगी।
>
> (1). जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों में से किसी एक को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए इस शर्त के अधीन विचार किया जा सकता है कि इन नियमों के तहत रोजगार उन मामलों में स्वीकार्य नहीं होगा, जहां मृतक सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी या कम से कम एक बेटा, अविवाहित बेटी, दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित बेटी पहले से ही केंद्रीय/किसी राज्य सरकार या सांविधिक बोर्ड, संगठन/निगम के तहत नियमित आधार पर कार्यरत है, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से केंद्रीय/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में है या नियंत्रित है [सरकारी

कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय]

बशर्ते कि यह शर्त वहां लागू नहीं होगी, जहां विधवा खुद के लिए रोजगार चाहती है।"

8. उक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि यह मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को रोजगार प्रदान करके सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य कमाने वाले के चले जाने के बाद परिवार को वित्तीय स्थिरता और खुशहाली प्रदान करना है। हालांकि, यह इस बात पर प्रतिबंध लगाता है कि किसे रोजगार के लिए विचार किया जा सकता है। प्रासंगिक रूप से, ऐसे प्रतिबंध जो मृत्यु की तिथि पर प्रचलित थे, जब परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता थी, को देखा जाना चाहिए। मृत्यु की तिथि अर्थात 21.11.2007 को, उस समय के नियम में यह प्रतिबंध निर्दिष्ट किया गया था कि यदि कोई आश्रित, जैसे कि पति या पत्नी या कम से कम एक बच्चा, पहले से ही सरकारी सेवा में या सरकार द्वारा नियंत्रित संगठन में कार्यरत है, तो वे इस अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र हैं।

9. प्रासंगिक रूप से, "आश्रित की नियुक्ति के समय" शब्द नियम पुस्तिका में मौजूद नहीं थे क्योंकि उन्हें एक अधिसूचना द्वारा डाला गया था जो 08.12.2015 को लागू हुई थी, अर्थात् मृतक की मृत्यु के 8 साल बाद, जिसके दौरान याचिकाकर्ता के लंबित आवेदन के साथ आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं थी। लंबित आवेदन के साथ आगे बढ़ने में देरी प्रतिवादियों की सामान्य लालफीताशाही और उदासीन दृष्टिकोण के कारण है, जो मृतक के परिवार के अचानक गरीबी से पूरी तरह बेखबर थे। किसी भी मामले में, संशोधन अधिसूचना 08.04.2015 से लागू हुई और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

10. इसके अलावा, प्रतिवादियों द्वारा बताई गई सभी कमियों को दूर करने के बावजूद, याचिकाकर्ता के आवेदन को बारह साल से अधिक समय तक लंबित रखा गया। अंत में, संस्तुति किए जाने के बाद भी, प्रतिवादी संख्या 4 ने बिना किसी कारण या शिकायत के, स्वयं ही, अपने कार्यालय आदेश दिनांक 18.12.2019 के माध्यम से याचिकाकर्ता को शामिल होने की अनुमति नहीं दी।

11. अन्यथा भी, स्वीकार्य स्थिति यह है कि कार्यालय आदेश दिनांक 18.12.2019 के पारित होने से पहले, याचिकाकर्ता की बहन पहले से ही शादीशुदा थी। विवाहित बेटी होने के नाते, वह नियम 1996 के नियम 2 (सी) के अनुसार आश्रितों की परिभाषा के

अंतर्गत नहीं आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्ति पाने की अपनी हताशा में, याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु की तारीख तक परिवार के किसी भी सदस्य के सेवा में नहीं होने के बारे में अपेक्षित जानकारी दी। इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बेशक, याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय, मृतक के आश्रितों में से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं था।

12. मेरी पिछली चर्चा के मद्देनजर, इस याचिका को उसमें की गई प्रार्थना के अनुसार स्वीकार किया जाता है। दिनांक 17.05.2023 का विवादित आदेश संधारणीय नहीं माना जाता है और उसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 18.12.2019 का पिछला कार्यालय आदेश बहाल किया जाता है, जिसके परिणाम आने बाकी हैं। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को तत्काल आदेश की वेबप्रिंट के साथ संपर्क करने पर तत्काल ड्यूटी पर आने की अनुमति दें। याचिकाकर्ता के सेवा से बाहर रहने की अवधि के दौरान उसे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वरिष्ठता आदि सहित अन्य सभी काल्पनिक लाभ उसे दिए जाएंगे।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।